न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–336 सन् 2021

राज्य बनाम बृजलाल मौर्या आदि

थाना–को0 कटरा, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–138 सन् 2020

आरोप

मैं रचना अरोड़ा, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्तगण बृजलाल मौर्या, राजेन्द्र मौर्या व अमरेश मौर्या को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ–

1. यह कि दिनांक 17.08.2020 को समय लगभग 08.30 बजे सुबह वहद्ग्राम चपगहना थाना पड़री जनपद मीरजापुर में आप लोगों ने वादी मुकदमा दिनेश मौर्या के भाई रामनरेश, पिता तेजबली, चचेरे भाई राहुल कुमार मौर्या व दादा छक्कन राम को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी–डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा, उसके भाई रामनरेश, पिता तेजबली, चचेरे भाई राहुल कुमार मौर्या व दादा छक्कन राम को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की सम्भावना थी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के पिता तेजबली को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी–डण्डे से मारकर इस प्रकार से गम्भीर चोटें पहुँचायी कि यदि उक्त चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले मानवबध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–08.11.2022

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–08.11.2022

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–336 सन् 2021
राज्य बनाम बृजलाल मौर्या आदि

थाना–को0 कटरा, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–138 सन् 2020

<u>दिनॉक–08.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण बृजलाल मौर्या, राजेन्द्र मौर्या व अमरेश मौर्या व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आए।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को आरोप सृजित किए जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण बृजलाल मौर्या, राजेन्द्र मौर्या व अमरेश मौर्या के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 308/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण बृजलाल मौर्या, राजेन्द्र मौर्या व अमरेश मौर्या के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 308/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी/प्राथमिकीकर्ता जरिए समन तलब हों। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 09.12.2022 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।